क्रमांक .....

केस मुकदमा:– .....प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A नं. ..... वर्ष :– .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ की और से अधिवक्ता श्री ..... द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A ~~L.R.~~ Act. के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये जाकर मिसल दिनांक ...../...../2016 को पेश हो।	
9/5/17	प्रार्थी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 के अंतर्गत विचार गंगापुरा पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री आरिफ चौधरी एवं प्रार्थी के अभिभाषक ने जाहिर किया कि मुकदमा 131/16 पत्रकाशपत्र से शजीनामा प्रस्तुत अनुसार प्राथमिकता डिक्री किया जा चुका है इसलिए अब इस प्रकरण को Press नहीं करना चाहते अतः यह प्रकरण प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा Press नहीं किए जाने से Non Press में खारिज किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज रजिस्टर हो तथा एवं मुलवाद के साथ संलग्न हो।	Non Press

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)